

संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी  
ऑफिस काम्पलेक्स "बी" ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल-462023

0000

क्रमांक / तक / डीबीटी / 2021-22 / 2224  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2021

कृषि यंत्र निर्माता  
.....समस्त

विषय:-ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल का बैंक खाता क्रमांक बदलने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि पूर्व में विभाग के "ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल" पर कार्य किये जाने हेतु निर्माताओं द्वारा जमा की जाने वाली धरोहर राशि एवं वार्षिक पोर्टल शुल्क राशि (आरटीजीएस/एनईएफटी) के माध्यम से जिस खाते में जमा की जाती रही है उसके खाते क्रमांक में परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन दिनांक 01.01.2022 से लागू होगा। शेष खाता विवरण यथावत् रहेगा। परिवर्तित खाते की जानकारी निम्नानुसार है :-

|              |                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| खाते का नाम  | संचालक राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल (ई-कृषि) |
| बैंक का नाम  | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया                                            |
| खाता नंबर    | 40617355333                                                     |
| आई.एफ.एस.सी. | SBIN0007726                                                     |
| ब्रांच       | नीलबड़                                                          |
| शहर          | भोपाल                                                           |

अतः कृपया सभी निर्माता भविष्य में उपरोक्त नवीन खाता क्रमांक में ही धरोहर राशि तथा पोर्टल शुल्क जमा करें।

संचालक, कृषि अभियांत्रिकी  
म.प्र. भोपाल

मध्यप्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/ डी-17-05/2015/14-3  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 25/4/18

संचालक  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास/कृषि अभियांत्रिकी  
म.प्र. भोपाल

विषय:- विभागीय योजनाओं में ऑनलाईन डीबीटी प्रणाली लागू करने के संबंध में (संशोधन)।  
संदर्भ:- शासन का पत्र क्रमांक/डी-17-02/2014/14-3 दिनांक 08.05.2017

0000

विभाग की अनुदान योजनाओं अंतर्गत कृषकों को कृषि यंत्र एवं सिंचाई उपकरणों हेतु वर्ष 2017-18 से ऑनलाईन व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से कृषकों को अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। उक्त पोर्टल के माध्यम से व्यवसाय करने के इच्छुक निर्माताओं से वार्षिक शुल्क के रूप में राशि रु. 50 हजार प्रतिवर्ष लेने के निर्देश संदर्भित पत्र द्वारा दिये गये थे। विभिन्न निर्माताओं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुये वर्ष 2018-19 से वार्षिक शुल्क की राशि रु. 50 हजार प्रतिवर्ष के स्थान पर रु. 40 हजार प्रतिवर्ष प्राप्त की जाये जो अप्रतिदेय (Non-refundable) होगी।



(बी.एस.शुर्वे)

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

क्रमांक/ डी-17-05/2015/14-3

भोपाल, दिनांक 25/4/18

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र. भोपाल।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।



उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

# Online Transaction Details

(for Annual Portal Fee)

|                                |                                 |                  |                     |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>I. Company Details</b>      |                                 |                  |                     |
| 1                              | Name of Company with Reg. no.   |                  |                     |
| 2                              | Applicant Name                  |                  |                     |
| 3                              | Applicant Mobile / Phone Number |                  |                     |
| 4                              | Address                         |                  |                     |
| 5                              | Security Deposit Amount (Rs.)   | 40,000/-         | Forty Thousand Only |
| <b>II. Transaction Details</b> |                                 |                  |                     |
| 1                              | Transaction Type (NEFT/RTGS)    |                  |                     |
| 2                              | Transaction Id / UTR            | Transaction Date |                     |
| 3                              | Cheque No.                      | Cheque Date      |                     |
| 4                              | Account Number                  |                  |                     |
| 5                              | Bank Name                       |                  |                     |
| 6                              | Branch Code / Name              |                  |                     |
| 7                              | IFSC                            |                  |                     |
|                                |                                 |                  |                     |
|                                | Remarks (if any)                |                  |                     |
| <b>III. Enclosure</b>          |                                 |                  |                     |
| 1                              | Copy of Transaction Receipt     |                  |                     |
|                                |                                 |                  |                     |

## Online Transaction Details (for Security Deposit)

|                                |                                                      |                  |  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|--|
| <b>I. Company Details</b>      |                                                      |                  |  |
| 1                              | Name of Company with Reg. no.                        |                  |  |
| 2                              | Applicant Name                                       |                  |  |
| 3                              | Applicant Mobile / Phone Number                      |                  |  |
| 4                              | Address                                              |                  |  |
| 5                              | Security Deposit Amount<br>( Rs. 2 lac per category) |                  |  |
| <b>II. Transaction Details</b> |                                                      |                  |  |
| 1                              | Transaction Type (NEFT/RTGS)                         |                  |  |
| 2                              | Transaction Id / UTR                                 | Transaction Date |  |
| 3                              | Cheque No.                                           | Cheque Date      |  |
| 4                              | Account Number                                       |                  |  |
| 5                              | Bank Name                                            |                  |  |
| 6                              | Branch Code / Name                                   |                  |  |
| 7                              | IFSC                                                 |                  |  |
|                                |                                                      |                  |  |
|                                | Remarks ( <i>if any</i> )                            |                  |  |
| <b>III. Enclosure</b>          |                                                      |                  |  |
| 1                              | Copy of Transaction Receipt                          |                  |  |
|                                |                                                      |                  |  |



कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय  
ऑफिस काम्पलेक्स (बी) ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल-23  
Ph : 0755- 2583632, Fax : 0755-2583631, E-mail : [dagebho@mp.gov.in](mailto:dagebho@mp.gov.in)

क्रमांक/तक./एसएमएम/2017-18/  
प्रति,

भोपाल, दिनांक

मेर्सस .....

.....

.....

विषय:-कृषि यंत्र एवं उपकरणों पर अनुदान की ऑनलाईन व्यवस्था में शामिल होने हेतु आवश्यक कार्यवाही के संबंध में।

/0000/

विषयांतर्गत लेख है कि 1 जून 2017 से अनुदान योजनाओं में कृषि यंत्रों का वितरण विभाग की "ई-कृषि यंत्र अनुदान" पोर्टल के माध्यम से डीबीटी अंतर्गत किया जाना है। उक्त प्रक्रिया के निर्देश संलग्न है।

संचालक, कृषि अभियांत्रिकी  
म.प्र. भोपाल



कंपनी के लेटरहेड पर कवरिंग लेटर बनाया जाये।

प्रति,

संचालक कृषि अभियांत्रिकी

गौतम नगर, भोपाल

विषय:- कृषि यंत्र एवं उपकरणों पर अनुदान की ऑनलाईन व्यवस्था "ई-कृषि यंत्र अनुदान" में सम्मिलित होने के संबंध में।

महोदय,

मैं निर्माता ..... मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास की कृषि यंत्र एवं उपकरणों पर अनुदान की ऑनलाईन व्यवस्था "ई-कृषि यंत्र अनुदान" में सम्मिलित होना चाहता हूँ। इस हेतु निम्नलिखित दस्तावेज कर प्रस्तुत है।  
दिनांक -

स्थल -

संलग्न किये जा रहे दस्तावेज -

1. पावर ऑफ अटर्नी की मूल प्रति (राशि रु. 1000/- के स्टॉम्प पर)
2. धरोहर राशि का बैंक ड्रॉफ्ट
3. वार्षिक पोर्टल शुल्क का बैंक ड्रॉफ्ट
4. प्रारूप -2- अधिकृत विक्रेताओं की सूची
5. कृषि यंत्र/सामग्रियों की दर सूची (सभी टेक्स सहित कृषक को विक्रय हेतु)
6. अधिकृत प्रतिनिधी फोटो आईडी फूफ (आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड)
7. टिन नंबर की छायाप्रति
8. केन्सील्ड चेक
9. सहमति पत्र 1000 के स्टाम्प पेपर पर

निर्माता के अधिकृत प्रतिनिधी के अस्ताक्षर

नाम - .....

कंपनी सील .....



**कृषि यंत्र एवं उपकरणों पर अनुदान की ऑनलाईन व्यवस्था "ई-कृषि यंत्र अनुदान" में सम्मिलित होने के निर्देश -**

1. प्रत्येक निर्माता जो भारत सरकार द्वारा योजनाओं अंतर्गत निर्धारित यंत्र टेस्टिंग तथा अन्य मापदंड एवं समय-समय पर राज्य शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों का पालन करते हो इस व्यवस्था अंतर्गत कार्य करने के लिये "ई-कृषि यंत्र अनुदान" पोर्टल में पंजीकृत किये जायेंगे।
2. प्रत्येक निर्माता जो कृषि यंत्र एवं उपकरणों पर अनुदान की ऑनलाईन व्यवस्था "ई-कृषि यंत्र अनुदान" अंतर्गत कार्य करना चाहते हैं उन्हें इस हेतु प्रारूप-1 में सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा। सहमति पत्र में निर्माता किस यंत्र श्रेणी हेतु व्यवसाय करना चाहता है वह स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना होगा।
3. पोर्टल के माध्यम से व्यवसाय करने हेतु प्रत्येक यंत्र श्रेणी हेतु राशि रु. 2 लाख सुरक्षा निधि के रूप में जमा की जाना होगी। सुरक्षा निधि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा। बैंक ड्रॉफ्ट "संचालक कृषि अभियांत्रिकी, म.प्र. भोपाल" के नाम से देय होगा। यदि प्रदाय सामग्री में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो सुरक्षा निधि को राजसात करते हुये निर्माता को ब्लेकलिस्ट भी किया जा सकता है।
4. पोर्टल संचालन तथा मेन्टेनेन्स हेतु प्रत्येक निर्माता को प्रतिवर्ष राशि रु. 50 हजार वार्षिक शुल्क संचालनालय में जमा किया जाना होगा जो अप्रतिदेय (Non-refundable) होगा।
5. पोर्टल में प्रत्येक निर्माता तथा उसके द्वारा घोषित अधिकृत विक्रेताओं (जिनके माध्यम से ऑनलाईन व्यवस्था अंतर्गत निर्माता व्यवसाय करना चाहता है) को लॉगिन आईडी प्रदाय किया जायेगा जिससे वे प्रकरणों की ट्रेकिंग कर सकेंगे तथा जानकारीयां प्राप्त कर सकेंगे।
6. प्रत्येक निर्माता को स्वयं के बैंक अकाउंट का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना होगा जिसके अंतर्गत आवश्यक होने पर अनुदान की राशि स्थानांतरित की जा सकेगी।
7. प्रत्येक निर्माता प्रारूप-2 में अधिकृत विक्रेताओं की सूची प्रस्तुत करेंगे। प्रदेश में कम से कम 10 अधिकृत विक्रेता रखे जाना आवश्यक होगा। प्रत्येक अधिकृत विक्रेता का ई-मेल आईडी, मोबाईल नंबर तथा टिन नंबर उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।



8. प्रत्येक अधिकृत विक्रेता को आधार आईडेंटिफिकेशन की डिवाईस रखी जाना अनिवार्य होगा। डिवाईस का क़य भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा अधिकृत प्रादायकों से ही किया जा सकेगा। क्रिस्प संस्था द्वारा ऐसे प्रदायकों की सूची पृथक् से उपलब्ध करायी जायेगी।
9. प्रत्येक निर्माता को अपनी सामग्रियों की दरें प्रारूप-4 पर घोषित की जाना होगी जो पोर्टल पर दर्शायी जायेगी। दरें बाजार में प्रचलित दरों के अनुरूप रखना अनिवार्य होगा इस आशय की घोषणा निर्माता को करनी होगी।
10. इस वर्ष से प्रारंभ की जा रही ऑनलाईन व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक सामग्री पर इंजन नंबर /चेसिस नंबर/सीरियल नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य है। इस हेतु संचालनालय में पंजीयन के समय आपके द्वारा यंत्रों पर दर्शायी गई विवरण प्लेट होना अनिवार्य होगा।
11. निर्माता को अपने अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से कृषकों को समुचित "बिक्री उपरांत सेवा" उपलब्ध करायी जाना आवश्यक होगा।
12. निर्माता द्वारा योजनांतर्गत प्रदाय यंत्रों/सामग्री का रेण्डम आधार पर परीक्षण कराया जा सकेगा। सामग्री अधिकृत विक्रेताओं से प्राप्त की जायेगी। टेस्टिंग का संपूर्ण व्यय निर्माता को वहन करना होगा।
13. निर्धारित मापदंड की सामग्री का प्रदाय न होने पर निर्माता को प्रतिबंधित भी किया जा सकेगा।

संचालक, कृषि अभियांत्रिकी  
म.प्र. भोपाल

कृषि यंत्र एवं उपकरणों पर अनुदान की ऑनलाईन व्यवस्था "ई-कृषि यंत्र अनुदान" में सम्मिलित होने के संबंध में सहमति पत्रक (1000/- स्टॉम्प पर)

1. मैं \_\_\_\_\_ उम्र \_\_\_\_\_ पिता का नाम \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_ निर्माता द्वारा कृषि यंत्र एवं उपकरणों पर अनुदान की ऑनलाईन व्यवस्था "ई-कृषि यंत्र अनुदान" में सम्मिलित होने की सहमति देने हेतु प्रतिनिधि के रूप में अधिकृत किया गया हूँ। निर्माता द्वारा पावर ऑफ अटर्नी की मूल प्रति संलग्न है।
2. मैं, निर्माता की ओर से मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की कृषि यंत्र एवं उपकरणों पर अनुदान की ऑनलाईन व्यवस्था "ई-कृषि यंत्र अनुदान" में सम्मिलित होने हेतु सहमत हूँ।
3. ऑनलाईन व्यवस्था हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का पालन करने हेतु निर्माता सहमत है।
4. ऑनलाईन व्यवस्था में मेरी कंपनी \_\_\_\_\_ यंत्र श्रेणी में सम्मिलित होने हेतु इच्छुक है। प्रत्येक यंत्र श्रेणी हेतु राशि रु. 2 लाख के मान से कुल राशि रु. \_\_\_\_\_ का आर. टी.जी.एस. यू.टी.आर. क्रमांक \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ बैंक का नाम \_\_\_\_\_ के माध्यम से संचालक, राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान भोपाल (ई-कृषि) के खाते में जमा की गई है।
5. "ई-कृषि यंत्र अनुदान" पोर्टल के रख-रखाव हेतु राशि रु. **40 हजार वार्षिक** शुल्क एन.ई.एफ.टी क्रमांक . \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ बैंक का नाम \_\_\_\_\_ के माध्यम से संचालक, राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान भोपाल (ई-कृषि) के खाते में जमा की गई है।
6. कंपनी के बैंक अकाउंट का विवरण निम्नानुसार है जिसमें आवश्यक होने पर अनुदान की राशि स्थानांतरित की जा सकेगी –

|                  |  |
|------------------|--|
| खाता धारक का नाम |  |
| बैंक का नाम      |  |
| आईएफएससी कोड     |  |
| शाखा             |  |
| खाता क्रमांक     |  |
| खाते का प्रकार   |  |
| शहर का नाम       |  |

7. प्रारूप-2 में अधिकृत विक्रेताओं की सूची संलग्न है जो ऑनलाईन व्यवस्था अंतर्गत कंपनी द्वारा कार्य करने हेतु अधिकृत किये गये हैं।
8. निर्माता इस बात से सहमत है कंपनी अधिकृत विक्रेताओं द्वारा प्रदाय की गई सामग्री की गुणवत्ता तथा बिक्री उपरांत सेवा की जबाबदारी कंपनी की होगी।
9. निर्माता द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसके प्रत्येक अधिकृत विक्रेता द्वारा आधार आईडेंटिफिकेशन डिवाइस का क्रय अधिकृत एजेंसी से ही किया जायेगा।
10. निर्माता द्वारा ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल व्यवस्था अंतर्गत विक्रय किये जाने वाले यंत्रों/सामग्रियों की दरें संलग्न हैं। निर्माता द्वारा इस बात पर सहमति दी जाती है कि दी जा रही दरें बाजार में प्रचलित मूल्यों के समकक्ष हैं।

दिनांक —

स्थान —

निर्माता/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर  
नाम—

कंपनी सील .....

**संलग्न किये जा रहे दस्तावेज —**

1. पावर ऑफ अटर्नी की मूल प्रति (राशि रु. 1000/- के स्टॉम्प पर)
2. धरोहर राशि का आर.टी.जी.एस.
3. वार्षिक पोर्टल शुल्क का एन.ई.एफ.टी.
4. प्रारूप -2 — अधिकृत विक्रेताओं की सूची
5. कृषि यंत्र/सामग्रियों की दर सूची (सभी टेक्स सहित कृषक को विक्रय हेतु)(एम.आर.पी एवं पोर्टल दर)
6. अधिकृत प्रतिनिधि फोटो आईडी फूफ (आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड)
7. जी.एस.टी की छायाप्रति
8. फर्म का ऑरीजनल केन्सिल चेक
9. घोषणा पत्र 100 रु. के स्टॉम्प पेपर पर नोटराईज सहित



कृषि यंत्र एवं उपकरणों पर अनुदान की ऑनलाईन व्यवस्था "ई-कृषि यंत्र अनुदान"  
अंतर्गत अधिकृत विक्रेताओं की सूची (कंपनी के लेटरहेड पर)

निर्माता का नाम -

- नोट-1. कम से कम 10 अधिकृत विक्रेता नियुक्त किया जाना आवश्यक है।  
2. एक अधिकृत विक्रेता अधिकतम 5 जिलों में ही कार्य कर सकेगा।

| क्रमांक | जिला | अधिकृत<br>विक्रेता का<br>नाम | पता | मोबाईल<br>नंबर/फोन<br>नंबर | टिन नंबर | ई-मेल का<br>पता | कार्यक्षेत्र<br>के जिले |
|---------|------|------------------------------|-----|----------------------------|----------|-----------------|-------------------------|
| 1       |      |                              |     |                            |          |                 |                         |
| 2       |      |                              |     |                            |          |                 |                         |
| 3       |      |                              |     |                            |          |                 |                         |

निर्माता के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

नाम- .....

कंपनी सील .....



ई-कृषि यंत्र अनुदान अंतर्गत कृषि यंत्रों की श्रेणिया (सुरक्षा निधि हेतु)

प्रत्येक कृषि यंत्र श्रेणी हेतु पृथक-पृथक सुरक्षा निधि देय होगी

| कृषि यंत्र श्रेणी<br>क्रमांक | यंत्र एवं उपकरण श्रेणी                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                            | ट्रेक्टर                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2                            | कंबाइन हार्वेस्टर एवं शुगरकेन हार्वेस्टर                                                                                                                                                                                                     |
| 3                            | पावर टिलर                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4                            | रीपर कम बाईन्डर (स्वचलित), ट्रेक्टर चलित रीपर कम बाईन्डर                                                                                                                                                                                     |
| 5                            | राईस ट्रांसप्लान्टर                                                                                                                                                                                                                          |
| 6                            | सभी प्रकार के प्लाउ, कल्टीवेटर, डिस्क हैरो, सब-स्वाइलर, पावर हैरो, रिजर, पॉवर हैरो, रिजर, पावर वीडर, पोस्ट होल डिगर, ब्रश कटर, रीपर, स्वचलित रीपर, लेवलर ब्लेड एवं अन्य उद्यानिकी यंत्र                                                      |
| 7                            | रोटावेटर, श्रेडर, मलचर, श्लेसर                                                                                                                                                                                                               |
| 8                            | सीड ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, जीरोटिल, न्यूमेटिक प्लान्टर, पोटेटो प्लान्टर, मल्टीक्रॉप प्लान्टर, रिज फरो प्लान्टर एवं सीड ड्रिल, रेज्ड बेड प्लान्टर, हैप्पी सीडर एवं बुवाई की अन्य मशीनें, ट्रॉली, फर्टिलाइजर ब्राडकास्टर, पोटेटो डीगर |
| 9                            | बेलर, रेक, स्ट्रा रीपर, लेजर लेण्ड लेवलर, शुगरकेन इनफील्डर, स्ट्रा लोडर, बैक हो डोजर, बैक हो लोडर                                                                                                                                            |
| 10                           | मल्टीक्रॉप थ्रेशर, एक्सीयल फलो पैडी थ्रेशर, ट्रेक्टर एवं पावर चलित पौध संरक्षण यंत्र, सोलर पशु निवारक बायो अकॉस्टिक यंत्र विद्युत पशु निवारक बायो अकॉस्टिक यंत्र                                                                             |
| 11                           | पोस्ट हार्वेस्टर टेक्नालॉजी यूनिट, मिनी राईस मिल, पॉवर ड्रान सीड ग्रेडर, सीड ग्रेडर                                                                                                                                                          |
| 12                           | स्प्रिंकलर सिस्टम एवं पाईप लाईन                                                                                                                                                                                                              |
| 13                           | ड्रिप सिस्टम एवं पाईप लाईन                                                                                                                                                                                                                   |
| 14                           | डिजल एवं विद्युत पंप                                                                                                                                                                                                                         |



“ई-कृषि यंत्र अनुदान” अन्तर्गत सामग्री की विक्रय दर

| क्रं. | सामग्री का नाम | ब्राण्ड | मॉडल का नाम (टेस्ट रिपोर्ट, सीएमएल लायसेंस अनुसार) | स्पेसिफिकेशन (तकनीकी जानकारी) | विक्रय दर (कृषकों को) |            |
|-------|----------------|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|
|       |                |         |                                                    |                               | अंको में              | शब्दों में |
|       |                |         |                                                    |                               |                       |            |
|       |                |         |                                                    |                               |                       |            |